सीमा पार आतंकवाद से निपटने को बढ़ाएंगे सहयोग

रोडमैप विजन डाक्यूमेंट : कारोबारी ही नहीं, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ब्रिटेन के लिए भारत ज्यादा महत्त्वपूर्ण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 1947 में आजादी के बाद कई दशकों तक ब्रिटेन कूटनीतिक व रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के करीब रहा। शीत युद्ध के काल में भारत के हितों के बजाय ब्रिटिश सरकार ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मगर पीएम नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर ने गुरुवार को द्विपक्षीय संबंधों का अगले 10 वर्षों का जो रोडमैप विजन डाक्यूमेंट-2035 जारी किया है, यह बताता है कि सिर्फ कारोबारी दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत ब्रिटेन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

ब्रिटेन सरकार ने हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के साथ सहयोग करने की बात कही है। साथ ही आतंकियों और उन्हें प्रश्रय देने वालों के खिलाफ भारत के साथ सूचना साझा करने व उन पर लगाम लगाने के लिए...

लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भारतीय समुदाय के लोग • एएनआइ

'कोई समस्या नहीं, आप बीच-बीच में अंग्रेजी बोल सकती हैं'

ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर जब बोल रहे थे तो अनुवादक को उनके वक्तव्य का हिंदी अनुवाद करने में कठिनाई हो रही थी। एक जगह वह ठिठक भी गई और उन्हें कुछ बोलने को सूझ नहीं रहा था तो उन्होंने कहा- "माफ कीजिए..." बोले- "आप परेशान मत होइए, हम बीच-बीच में अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं... चिंता मत कीजिए।" इस पर अनुवादक पीएम का धन्यवाद करती हैं। इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि मोदी और हम...

मोदी ने उठाया खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों का मुद्दा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश पीएम किएर स्टार्मर के बीच गुरुवार को लंदन में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर विस्तार से बात हुई। मोदी ने ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों और भारत के कुछ आर्थिक अपराध करके ब्रिटेन में शरण लेने वालों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान ब्रिटिश पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस पर मोदी ने उनका आभार भी जताया।

प्रेस कांफ्रेंस में भी पीएम मोदी ने खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा- 'हम इस बात पर एकमत है कि अतिवादी विचारधारा वाली शक्तियों को लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग नहीं है, उनको निश्चित तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।' बता दें कि ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों खासकर मार्च 2023 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर किए गए हमले के बाद भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं। वैसे भी भारत ब्रिटिश धरती पर खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताओं से ब्रिटेन को अवगत कराता रहा है।

भारत द्वारा ब्रिटेन से भगोड़े कई आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग के बीच मोदी ने कहा कि इस मामले में हमारी एजेंसियां सहयोग और समन्वय से काम करती रहेंगी। सीबीआइ और ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच सहयोग को लेकर भी एक समझौता किया गया है। भारत ब्रिटेन के समक्ष विजय माल्या, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और ललित...

...के बीच सामंत और गुलाम जैसे रिश्ते हैं। युगल पीठ ने यह भी कहा कि जब जिला न्यायपालिका के जज हाई कोर्ट के जजों से मिलते हैं तो उनकी बाडी लैंग्वेज बिना रीढ़ की हड्डी वाली स्तनधारी की तरह होती है। हाई कोर्ट के जज खुद को सवर्ण और जिला न्यायालय के जजों को शूद्र समझते हैं।

दरअसल, व्यापमं मामले में आरोपित को जमानत देने के कारण हाई कोर्ट ने संबंधित जज को बर्खास्त कर दिया था। युगल पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य से जिला न्यायपालिका में यह संदेश जाता है कि बड़े मामलों में निर्दोष...

यह याचिका 2016 में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश जगत मोहन चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने 2015 में व्यापमं मामले के कुछ छात्रों को अग्रिम जमानत दी, जबकि अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इस पर हाई कोर्ट प्रशासन ने उनके खिलाफ कदाचरण की कार्रवाई की और उन्हें बर्खास्त कर दिया।

युगल पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका को दंड के भय में रखा जाता है। सुनवाई के दौरान उन्होंने हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच निराशाजनक संबंध की आलोचना की।

आरोपों की जांच को समिति गठित करेंगे बिरला

- तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन के लिए चल रहा है विमर्श
- समिति में दो न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 152 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ 21 जुलाई को बिरला को सौंपा गया नोटिस अब सदन की संपत्ति है। तीन सदस्यीय जांच समिति के गठन के लिए परामर्श शुरू हो गया है, जिसमें या तो भारत के प्रधान न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। चूंकि उसी दिन 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के साथ एक नोटिस राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ को भी सौंपा गया था, इसलिए उच्च सदन भी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया के तहत स्पीकर से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध करेंगे, जबकि प्रतिष्ठित न्यायविद का चयन उनका विशेषाधिकार है। नोटिस प्रस्तुत किए जाने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भविष्य की कार्रवाई पर विचार-विमर्श का हिस्सा रहे हैं।

वाड्रा के खिलाफ मनी लांड्रिंग में नोटिस को लेकर 31 को आ सकता है आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद व कारोबारी राबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करने के बिंदु पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने ईडी की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वह दस्तावेज की जांच के बाद 31 जुलाई को नोटिस जारी करने या नहीं करने को लेकर आदेश पारित करेंगे। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दलील दी कि यह एक स्पष्ट और क्लासिक मनी लांड्रिंग मामला है, जिसमें अपराध से अर्जित धन और झूठे दस्तावेजों से कई संपत्तियां (जमीन) खरीदी गईं। ईडी ने दलील दी कि स्काइलाइट ने वाणिज्यिक आवासीय विकास के लिए लाइसेंस ऊपरी दबाव के जरिये प्राप्त किया। लाइसेंस के लिए फाइलें जल्दबाजी में तैयार की गईं और कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं की गई। नियमों और शर्तों को दरकिनार कर यह लाइसेंस जारी किया गया। ईडी ने दलील दी कि स्काइलाइट हास्पिटैलिटी कंपनी, जिसकी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी राबर्ट वाड्रा के पास थी, ने 7.5 करोड़ रुपये में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी, लेकिन चेक द्वारा दिखाई गई इस राशि का कभी भुगतान नहीं किया गया। यह जमीन बाद में डीएलएफ को ऊंचे दामों में बेची गई।

...बजे से पूर्व प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा के भाग प्रथम में उपरोक्त पंजीकरण प्रपत्र, धरोहर धनराशि, नियम व शर्तें इत्यादि एवं निविदा के भाग द्वितीय में दरें संलग्न की जायेंगी। धरोहर धनराशि, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार के पक्ष में देय होगी। यदि निविदा खुलने की तिथि को कोई अवकाश होता है तो निविदायें अगले कार्यदिवस में यथासमय प्राप्त कर खोली जायेंगी।

निविदा सं0	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र शुल्क (कर अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (सी0डी0आर0 के रूप में)
12/2025-26	विद्युत वितरण उपखण्ड, बहादराबाद के अन्तर्गत प्रणाली सुधार मद में परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य एवं अन्य कार्य।	रू0 250.00	रू0 20,000.00

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिये निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

"विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जायें"

पत्रांक 5346 / वि0वि0ख0ज्वा0 / ई0 दिनांक 24/07/2025 अधिशासी अभियन्ता

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें" टोल फ्री नं0 1800-419-0405

कारगिल युद्ध शहीदों को शत्-शत् नमन

शौर्य दिवस 26 जुलाई 2025

के पावन अवसर पर "कारगिल शहीदों" को सम्मान अर्पित करने हेतु

श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह

शहीद स्मारक, गाँधी पार्क राजपुर रोड में प्रातः 10:00 बजे से आयोजित किया जायेगा।

मुख्य अतिथि

श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

विशिष्ट अतिथि

श्री गणेश जोशी, माननीय मंत्री, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार

अध्यक्षता

श्री खजान दास, माननीय विधायक, राजपुर।

इस गौरवमयी समारोह में आप सादर आमन्त्रित हैं।

निवेदक: जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड

कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून

पत्रांक - 3736-41/पशुधन-1/ गोसदन-अभिरूचि की अभिव्यक्ति/2025-26 दिनांक 24.07.2025

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

सचिव, पशुपालन अनुभाग -01, उत्तराखण्ड शासन के ई-पत्र संख्या 36254/XV-1/23/7 (14)22 दिनांक 26 जून, 2023 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट (प्रेमनगर) में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के...

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून

पत्रांक - 2377/30व0/ इनि IV/प्रेस नो0/भू0खनि0नि0/2025-26 दिनांक 24.07.2025

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रवन्ना जारी करने की व्यवस्था लागू

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1910/VII - A - 1/2025-08(02)/2023, दिनांक 24 जुलाई, 2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश/रोकथाम लगाये जाने/ ई- रवन्ना प्रपत्रों का दुरुप्रयोग रोकने तथा राजस्व हित में खनिजों के परिवहन हेतु पूर्व में साधारण पेपर पर ई-रवन्ना प्रपत्र प्रिन्ट/ निर्गत किये जाने की व्यवस्था के स्थान पर खनिजों के परिवहन हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज में ई-रखना प्रपत्र एम0एम0-11 प्रपत्र "जे" प्रपत्र "एन" एवं प्रपत्र "के" को प्रिन्ट कर प्रयुक्त किये जाने की व्यवस्था दिनांक 06 अगस्त, 2025 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की जा रही है। उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर पर जारी ई- रवन्ना प्रपत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के किसी भी पेपर में जारी ई- रवन्ना प्रपत्र अवैध माने जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति निगम कार्यदायी संस्था, पट्टाधारक/ अनुज्ञाधारक/ रिटेल भण्डारणकर्ता/ स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/ हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट/ पल्वराईजर प्लांट स्वामी एवं खनिज परिवहन में लगे वाहन स्वामियों आदि के द्वारा उक्त तिथि से विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त पेपर के अतिरिक्त अन्य पेपर में ई- रवन्ना का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त विशेष प्रकार सिक्योरिटी फीचर युक्त ई- रवन्ना 03 प्रतियों में निर्गत किया जायेगा, जिसकी 01 प्रति ई- रवन्ना प्रपत्र निर्गतकर्ता के पास रहेगी, 02 प्रति वाहन चालक के पास रहेगी, जिसमें से वाहन चालक के द्वारा 01 प्रति चैक पोस्ट पर मांगे जाने तथा 01 प्रति क्रेता को दी जायेगी।

उक्त के क्रम में समस्त निगमों, कार्यदायी संस्थाओं, पट्टाधारकों/ अनुज्ञाधारकों/ रिटेल भण्डारणकर्ताओं/ स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/ हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लांट/ पल्वराईजर प्लांट स्वामियों आदि को निर्देशित किया जाता है कि खनिजों के परिवहन हेतु दिनांक 06 अगस्त 2025 से ई- रवन्ना प्रपत्रों हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अनिवार्यतः उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित करते हुए किसी भी दशा में साधारण पेपर पर प्रिन्टेड ई- रवन्ना प्रपत्रों को प्रचलन में न लाया जाय तथा खनिजों के परिवहन हेतु नई व्यवस्था के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले ई- रवन्ना हेतु विशेष प्रकार के सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज को अविलम्ब विभागीय वेबसाईट dgmappl.uk.gov.in पर लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(राजपाल लेघा) निदेशक